

# महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 को आहूत परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवृत्ति

परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 13.10.2011 को अपराह्न 04:30 बजे मा० कुलपतिजी की अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। परीक्षा समिति में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

1. डॉ० पी० नाग, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो० आर०पी० सेन, संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय	—	सदस्य
3. प्रो० मणिभूषण पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, समाजकार्य संकाय	—	सदस्य
4. प्रो० एम०के० दास, संकायाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र संकाय	—	सदस्य
5. प्रो० एम०बी० शुक्ला, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र	—	सदस्य
6. डॉ० सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	—	सदस्य
7. प्रो० राममोहन पाठक, संकायाध्यक्ष, म०म०मा० हिन्दी पत्रकारिता संकाय	—	सदस्य
8. प्रो० सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	—	सदस्य
9. प्रो० मुन्नी लाल, संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण संकाय	—	सदस्य
10. प्रो० मधुरादन मिश्र, अतिरिक्त कुलानुशासक	—	सदस्य
11. श्री साहब लाल गौर्य, कुलसचिव	—	सदस्य / सचिव
12. प्रो० नन्द लाल, परीक्षा नियंत्रक		
13. डॉ० मोहम्मद आरिफ, उप परीक्षा नियंत्रक		
14. डॉ० रां दीप गिरि, सहा० परीक्षा नियंत्रक		
15. श्री आई०पी० झा, उपकुलसचिव		
16. श्री एस०एन० सिंह, उप कुलसचिव—परीक्षा गोपनीय		

समिति में अधोलिखित निर्णय लिए गए—

1. सत्र 2010-11 की परीक्षा से बैंक पेपर एवं स्कूटनी की सुविधा लागू करने का निर्णय लेते हुए बैंक पेपर परीक्षा की नियमावली बनाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया।

(क) प्रो० एम० बी० शुक्ला—संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय—अध्यक्ष

(ख) प्रो० सत्या सिंह—संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय—सदस्य

(ग) डॉ० मो० आरिफ—उप परीक्षा नियंत्रक—सदस्य

(घ) श्री इन्दुपति झा—उप कुलसचिव—संयोजक

2. सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत परीक्षार्थी द्वारा वार्षिक परीक्षा की अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका दिखाए जाने सम्बन्धी मांग पर समिति ने निर्णय लिया कि

परीक्षाफल घोषित होने से 90 दिन के अन्दर परीक्षार्थी की मांगपर निर्धारित शुल्क जमाकर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. समिति ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्बन्धित विषय के अध्यापक को समन्वयक न बनाये जाने का निर्णय लिया।
  4. समिति ने निर्णय लिया कि मूल्यांकन हेतु अध्ययन समिति से पर्याप्त परीक्षकों की नामावली पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाय। यदि मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों की कमी पड़ती है तो इनके नाम विभागाध्यक्ष से प्राप्त किए जाय।
- अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद देकर समिति की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह0  
परीक्षा नियन्त्रक

ह0  
कुलपति

पत्रांक : - प0ग00/9322/परीक्षा समिति/2011

तद्दिनांक : 22 अक्टूबर 2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. माननीय कुलपति जी
2. परीक्षा समिति के सदस्यगण
3. वित्त अधिकारी
4. कुलसचिव
5. प्राचार्य, सम्बन्ध महाविद्यालय
6. उप परीक्षा नियन्त्रक
7. सहायक परीक्षा नियन्त्रक
8. उप कुलसचिव, परीक्षा गोपनीय
9. अधीक्षक, समिति अनुभाग
10. अधीक्षक, परीक्षा सामान्य
11. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर सम्बन्धित सूचना को अपलोड करा दें।

परीक्षा नियन्त्रक